प्रेषक

संख्या—249/61—2019—114/3—2007(निर्वा—3)

योगेश्वर राम मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

निर्वाचन अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 7 मई, 2019

विषय—लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् एवं उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों को अनुमन्य अनुग्रह राशि को संशोधित दरों के अनुसार भुगतान कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या—218/6/2019/ईपीएस, दिनांक—10—04—2019 में प्राप्त संस्तुति/निर्देश पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् एवं उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों को निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गंभीर रूप से घायल होने की दशा में शासनादेश संख्या—268/61—2014—114/3—2007(नि—3), दिनांक—21—04—2014 एवं शासनादेश संख्या—80/61—2017, दिनांक—02—03—2017 द्वारा अनुमन्य अनुग्रह राशि (एक्स—ग्रेसिया) की दरों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

विवरण	वर्तमान में अनुमन्य अनुग्रह राशि	संशोधित/स्वीकृत अनुग्रह राशि
1—प्रशिक्षण अथवा मतदान /मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घना में मृत्यु की दशा में।	रू0—10.00 लाख	रू0—15.00लाख
2—ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा/असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बाम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु।	रू0—20.00 लाख	रू0—30.00लाख
3—उपरोक्त कारणों (जैसे आतंकवादी हिंसा/असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बाम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि कारणों) से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई विकलांगता (पूरी ऑख, पैर, हाथ आदि की विकलांगता) की दशा में।	रू0—10.00 लाख	रू0—15.00लाख
4—किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई विकलांगता (पूरी ऑख, हाथ, पैर, आदि की पूरी विकलांगता) की दशा में।	रू0—05.00 लाख	रू0—07.50लाख

2— अनुग्रह राशि (एक्स—ग्रेसिया) की उपरोक्त संशोधित दरे लोक सभा सामान्य निर्वाचन—2019 के लिए और आगामी होने वाले सभी लोक सभा, विधान सभा तथा विधान परिषद के सामान्य एवं उप निर्वाचनों में मतदान व मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण एवं मतदान/मतगणना के कार्यों में लगाये जाने वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर आफिसर /मजिस्ट्रेट, माइक्रो,

2/—

Scanned by CamScanner

आब्जर्वर, सुरक्षा बलों, जिनमें राज्य पुलिस बल, पीएसी, केन्द्रीय अर्धसैनिक बल व होमगार्ड्स और निजी वाहन चालक, क्लीनर्स/हेल्पर्स आदि को निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गंभीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य होगी, जब तक कि इन दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

3— निर्वाचन ड्यूटी अवधि की गणना, मतदान/मतगणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुँचने तथा ड्यूटी समाप्त कर उसके निवास स्थान तक वापस पहुँचने की अवधि तक ही मान्य होगी। निवास स्थान से ड्यूटी स्थल पर पहुँचने तथा ड्यूटी स्थल से निवास स्थान की वापसी की अवधि की गणना उस सीमा तक मान्य होगी, जितना कि सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इस यात्रा हेतु समय लगता है।

4— जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त प्रत्यक्ष तथा पारिस्थितिक (Both Direct & Circumstantial) साक्ष्यों एवं समस्त अभिलेखों (निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफ0आई0आर0 की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्थायी विकलांगता के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आदि) के साथ उपरोक्त शर्तों के अनुसार अनुग्रह राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5— केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की निर्वाचन ड्यूटी की गणना उनके प्रदेश में आगमन (Induction) से ड्यूटी के पश्चात् मूल स्थान पर रवानगी (Deinduction) तक मानी जायेगी। जिले में तैनात मोबाइल सुरक्षा बल भी इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होंगे।

6— यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 के अशासकीय संख्या-ई-12-740/दस-2019, दिनांक-07-05-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-249(1)/61-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली।
(2) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय) एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार, आडिट (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0,
(5) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(6) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एव वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(8) समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0।
(9) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0।
(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश यादव)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner